



राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक-6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302017
दूरभाष: 0141-2709846, E-mail: spdrmsaraj@gmail.com



क्रमांक: रा.मा.शि.प/जय/EC-21/2016-17/902

दिनांक: 16/02/2017

शासन सचिव,
स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग,
शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार,
जयपुर।

विषय:- राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की निष्पादक समिति की 21 वीं बैठक दिनांक 31.01.2017 का कार्यवाही विवरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 31 जनवरी, 2017 को आयोजित की गई राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की 21वीं निष्पादक समिति बैठक का कार्यवाही विवरण संलग्न कर अवलोकनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(जस्साधम चौधरी)

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर

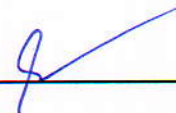
प्रतिलिपि:-

01. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
03. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज (राजस्थान), शासन सचिवालय, जयपुर।
04. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर।
05. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, 22 गोदाम पुलिया के पास, जयपुर।
06. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
07. निजी सचिव, आयुक्त/निदेशक, महिला सशक्तिकरण, झालाना डूंगरी, जयपुर।
08. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
09. निजी सहायक, निदेशक (आई.ई.सी.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
10. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
11. निजी सहायक, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
12. निजी सहायक, निदेशक, संस्कृत शिक्षा, शिक्षा संकुल, जयपुर।
13. निजी सहायक, निदेशक, साक्षरता एवं सतत् शिक्षा, शिक्षा संकुल, जयपुर।
14. निजी सहायक, निदेशक, एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर।
15. निजी सहायक, अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
16. निजी सहायक, सचिव राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर।
17. निजी सहायक, सचिव, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर।
18. नियंत्रक वित्त, रामाशिप, जयपुर।
19. अधीक्षण अभियन्ता, रामाशिप, जयपुर।
20. उपायुक्त प्रथम/द्वितीय, रामाशिप, जयपुर।
21. राज्य समन्वयक, रामाशिप, जयपुर।
22. उपनिदेशक, सहायक निदेशक, समस्त रामाशिप, जयपुर को देकर लेख है कि अपनी शाखा से सम्बन्धित अनुपालना सुनिश्चित करें।
23. उपनिदेशक/शाला दर्पण प्रभारी, कार्यालय उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा संकुल, जयपुर।
24. एम.आई.एस. प्रभारी को देकर लेख है कि परिषद् की बैब पोर्टल पर अपलोड करावें।
25. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर

**राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की निष्पादक समिति की
21वीं बैठक दिनांक-31.01.2017 के कार्यवृत्त**

क्रसं	प्रस्ताव	निर्णय
01.	प्रस्ताव संख्या-01 निष्पादक समिति की दिनांक 22.12.2016 को आयोजित 20 वीं बैठक में लिये गये निर्णय एवं अनुमोदित प्रस्तावों की क्रियान्विति का अनुमोदन एवं अनुरोध:- दिनांक 22.12.2016 को आयोजित 20 वीं बैठक में लिये गये निर्णय एवं अनुमोदित प्रस्तावों की क्रियान्विति का विवरण में अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।	• अनुमोदन किया गया
02.	प्रस्ताव संख्या-02 एकीकृत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की वर्ष 2017-18 की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट भारत सरकार को भिजवाने से पूर्व निष्पादक समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	निम्नांकित संशोधन किये जाने के साथ अनुमोदन किया गया- • विद्यालय सुदृढीकरण:- I & IInd phase के सभी आदर्श विद्यालयों को शामिल किया जाना है। बजट के अनुसार सभी जिलों को Weightage दिया जावे। • New schools up-gradation में जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों को सम्मिलित किया जावे। • ICT के शेष सभी स्कूलों का प्रस्ताव सम्मिलित किये जावे। • RMSA द्वारा अलग कोई Science fair आयोजित नहीं किये जायेगा, बल्कि विभाग द्वारा आयोजित Science fair को RMSA द्वारा funding Transfer किये जावे। • गत वर्षों में स्वीकृत विद्यालय सुदृढीकरण कार्य जो अब तक प्रारम्भ नहीं हुये हैं, उनके निरस्त के प्रस्ताव भेजकर उनके स्थान पर अन्य स्कूलों के प्रस्ताव स्वीकृत कराये जावे।



03 प्रस्ताव संख्या-03

स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगिता, सांस्कृतिक, साहित्य आदि प्रवृत्तियों में भाग लेने पर भत्ते (TA, DA आदि) का भुगतान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक शिविरा/मा.शि./खेलकूद-4/निजी/संघ मांग पत्र/35427/2015-16/76 दिनांक 02.03.2016 एवं शिविरा/मा.शि./खेलकूद-3/35101/वा.प/2011-12/46 दिनांक 31.05.11 के अनुसार निम्नानुसार भुगतान की स्वीकृति दिया जाना प्रस्तावित है :-

क्र.सं.	विषय	दर
1	क्षेत्रीय/जिला/राज्य विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता/प्रशिक्षण शिविर (राज्य प्रतियोगिता हेतु) एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोज्य चयन परीक्षण अवधि में खिलाड़ियों को वर्तमान में देय दैनिक भत्ता/खुराक भत्ता प्रति खिलाड़ी प्रतिदिन संबंधित विद्यालय द्वारा देय	100/-रु
2	जिला/राज्य स्तर पर विद्यार्थियों की खेल प्रतियोगिताओं में खेल गणवेश की अधिकतम सीमा 750/- रु. प्रति होगी। उसमें से 50 प्रतिशत राशि स्वयं विद्यार्थी खिलाड़ी (प्रति खिलाड़ी) वहन करेगा तथा 50 प्रतिशत राशि संबंधित विद्यालय के छात्र कोष से प्रति खिलाड़ी व्यय की जावेगी, जो 375/- रु. से अधिक नहीं होगी। उक्त गणवेश राशि का निर्धारण खेल विशेष हेतु आवश्यक खेल गणवेश के आधार पर संस्था प्रधान द्वारा किया जावे। यह राशि संबंधित विद्यालय द्वारा देय होगी।	750/-रु
3	विद्यालयी प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का दैनिक भत्ता एवं यात्रा भत्ता I. क्षेत्रीय/जिला स्तरीय प्रतियोगिता की अवधि में स्थानीय खिलाड़ियों के भाग लेने पर- अल्पाहार हेतु प्रति मैच-	15 रु प्रति खिलाड़ी
	II. उक्त हेतु स्थानीय खिलाड़ी को अधिकतम	30. प्रतिदिन
	III. प्रशिक्षण शिविर में प्रति खिलाड़ी प्रातः एवं सांय	15 रु. प्रति सत्र
	यह राशि संबंधित विद्यालय द्वारा देय होगी। यह राशि उस खिलाड़ी को देय नहीं होगी जिनको दैनिक भत्ता देय होगा।	

प्रस्ताव निष्पादन समिति में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

- अनुमोदित किया गया।

04 प्रस्ताव संख्या-04 वर्तमान में 132 स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल संचालित है तथा 1 अप्रैल, 2017 से 2 मॉडल स्कूल और संचालित होगी। मॉडल स्कूलों के संचालन के दिशा-निर्देश, बैठकों के आयोजन, मीटिंग मिनिट्स, भौतिक प्रगति, पीपीटी निर्माण, बजट प्लान निर्माण, मॉडल स्कूलों के संस्थाप्रधानों के द्वारा भेजे गए पत्रों का निस्तारण, अन्य कम्पोनेन्टों यथा सिविल, लेखा आदि द्वारा चाही गई सूचनाओं के साथ-साथ विद्यालय वार्षिक अनुदान (SAG), विधि (लीगल) संबंधी कार्य के लिए 1 ऑपरेटर कार्यरत है। चूंकि उसके पास आवंटित कार्य से व्यस्त रहने से स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल में लेखा शाखा संबंधी कार्य में विलम्ब हो जाता है।

वर्तमान 134 मॉडल स्कूलों के (आवर्ती, वेतन, गतिविधियां) ट्रांसपोर्ट वाउचर, अनावर्ती, फर्नीचर, कम्प्यूटर आदि के बजट आवंटन, आय-व्यय की मासिक एम.पी. आर. तथा वित्तीय मॉनिटरिंग हेतु शाखा में एक सहायक लेखाधिकारी कार्यरत है। कार्य की महत्ता एवं त्वरिता को ध्यान में रखते हुए स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों के लेखा शाखा में समस्त विद्यालयों की वित्तीय मॉनिटरिंग हेतु एक एम.आई.एस. एवं कम्प्यूटर, प्रिन्टर उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। प्रथम चरण के स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल में स्थापित इंग्लिश लैंग्वेज लैब को टेक्निकल सपोर्ट करने का कार्य भी इस एम.आई.एस. द्वारा भी किया जायेगा।

प्रस्ताव निष्पादक समिति की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

- एमआईएस के द्वारा मॉडल स्कूल शाखा में वित्तीय मॉनिटरिंग के साथ स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल में स्थापित इंग्लिश लैंग्वेज लैब को टेक्निकल सपोर्ट करने का कार्य करने से बचत की गणना करते हुये प्रस्ताव वित्तीय विभाग को भिजवाया जाने का निर्णय लिया गया।

IEDSS योजना में PAB 2016-17 में स्टूडेंट ओरियेन्टेड एक्टिविटी के अन्तर्गत CWSN हेतु मेडिकल कम फंक्शनल असेसमेन्ट कैम्पों में चयनित CWSN को आवश्यक अंग-उपकरण प्रदान करवाने हेतु 31.50 लाख की राशि स्वीकृत हुई है। सितम्बर 2016 में एलिमको के सहयोग से जिला स्तर पर मेडिकल कम फंक्शनल असेसमेन्ट कैम्पों का आयोजन किया जा चुका है। जिसमें चयनित (773 CWSN) को अंग-उपकरण प्रदान करवाने हेतु-

- एलिमकों द्वारा प्रस्तुत इनवाइस क्रमांक दिनांक 10.10.2016 के अनुरूप कुल राशि 46,85,670 रुपये में से 40 प्रतिशत राशि 18,74,263 का भुगतान किया जा चुका है। शेष 60%/- राशि 28,11,402 का भुगतान शेष है।
- ADIP-SSA स्कीम के तहत राशि का भुगतान दिव्यांग अधिकारिता विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सीधे ही एलिमकों को किया जाना था। लेकिन अभी तक मंत्रालय द्वारा उक्त राशि जारी नहीं की है।
- मंत्रालय को परिषद् द्वारा किये पत्राचार के आधार पर मंत्रालय ने एलिमको को पत्र प्रेषित कर अंग-उपकरण वितरण करवाने बाबत लिखा है लेकिन एलिमकों ने अग्रिम भुगतान के अभाव में अंग-उपकरण वितरण से मना किया है।
- उक्त वस्तु स्थिति के संदर्भ में निवेदन है कि वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है एवं अंग-उपकरण वितरण में देरी हो रही है। एस.एस.ए. के तहत अंग-उपकरण वितरण कैम्प 6 फरवरी 2017 से आयोजित किये जा रहे हैं। इनके साथ ही रमसा के तहत कैम्पों का आयोजन करवाया जाना प्रस्तावित है।
- एलिमकों द्वारा प्रेषित इनवाइस के अनुसार अंग-उपकरण पर होने वाला व्यय-4685670 है। इस हेतु $4685670 - 3150000 = 1535670$ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता है।
इस अतिरिक्त राशि की व्यवस्था रमसा MMER से अथवा IEDSS योजना की Student Oriented Activity की विभिन्न गतिविधियों में बचत राशि से किया जाना प्रस्तावित है।

Student Oriented Activity

S.No	Name of activities	Approval for 2016-17			
		Unit cost	physical	Financial (In lakh)	Saving (Tentative) in lakh
1	Medical Cum Functional Assessment Camp	33000	33	10.890	—
2	Providing of Aids & Appliance	3500	900	31.500	—
3	Stipend for girls @2000	2000	1971	39.420	—
4	Transport allowance @2500	2500	800	20.000	—
5	Escort allowance @2500	2500	240	6.000	—
6	Reader allowance@1500	1500	100	1.500	—
7	Braille Books & large print Books	7350	307	22.565	13.00-14.00
8	Assistive device Low-Vision kit	2500	700	17.500	4.00-5.00
Total				149.375	

- प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

Student Oriented Activity के अन्तर्गत प्रति CWSN 3000 रु/-की दर से राशि स्वीकृत होती है। इस राशि में से उक्त गतिविधियाँ आयोजित की जाती है। अतः इन गतिविधियों में संभावित बचत राशि से अंग-उपकरण हेतु वांछित अतिरिक्त राशि का भुगतान कर मंत्रालय द्वारा 60 प्रतिशत/- राशि जारी किये जाने पर पुर्नभरण करवाया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्ताव निष्पादक समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

(जस्साराम चौधरी)

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर